न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ, जिला बॉसवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.)
प्रकरण संख्या – 08/2024
ऑनलाईन प्रकरण सं. – 2024/23

दायर दिनांकः– 16.05.2024
निर्णय दिनांकः– 21.05.2024

लक्ष्मण पुत्र सरदार जाति भील निवासी ग्राम माल, पटवार हल्का भगतपुरा, तहसील कुशलगढ़।

बनाम

भुमिधारी तहसीलदार, कुशलगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 इन्द्राज दुरस्ती

–::निर्णय::–

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत खाते में स्वंय का नामशुद्धि करने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माल पटवार मण्डल भगतपुरा में कमली पत्नि स्व. सरदार हिस्सा–1/2 जाति–भील व नाबालिग थावरा पुत्र सरदार संरक्षक सरपरस्त माता कमली हिस्सा–1/2 जाति–भील के नाम से शामलाती कृषि भूमि है जिसका खाता नम्बर 21 खसरा नम्बर 20 रकबा 0.5504 है. व खसरा नम्बर 34 रकबा 0.4452 है. कुल किता 02 रकबा 0.9956 है. दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम पूर्व में त्रुटीवश गलत अंकित होकर थावरा पुत्र सरदार दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मण पुत्र सरदार है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत विधिक दस्तावेजों में भी स्वंय का नाम लक्ष्मण ही दर्ज है। प्रार्थी द्वारा स्वंय के खातों की नकल निकालने पर ज्ञात हुआ कि खाता संख्या 18 किता 04 रकबा 4.4516 है. में पूर्व शुद्धि अनुसार मेरा नाम लक्ष्मण पुत्र सरदार दर्ज है। परन्तु इसी ग्राम का दूसरा खाता संख्या 21 किता 02 रकबा 0.9956 है. में पाया कि मेरा नाम अभी भी नाबालिग थावरा पुत्र सरदार संरक्षक सरपरस्त माता कमली हिस्सा–1/2 दर्ज रिकार्ड है, जो कि अशुद्ध है। इस कारण से राजस्व खाता संख्या 21 में स्वंय का नाम शुद्ध कर ना.बा. थावरा की जगह लक्ष्मण किया जाना जरुरी है। अतः नाम शुद्धि का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र के साथ सरंपच ग्राम पंचायत भीमपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सलंग्न दस्तावेज अनुसार जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ को लिखा गया, जिस संबंध में तहसीलदार कुशलगढ़ ने अपनी जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम माल के खाता संख्या 21 में पटवार हल्का रिपोर्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं जनआधार में लक्ष्मण दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में थावरा दर्ज है। इस संबंध में खातेदार व सह खातेदार को बयान कलमबद्ध करने हेतु तलब किया गया। खातेदार, सह खातेदार व स्वतंत्र गवाहान ने उपस्थित होकर बयान कलमबद्ध कराये, जिसमें खातेदार का नाम थावरा की बजाय लक्ष्मण शुद्ध किये जाने तथा कमली पत्नि सरदार ने अपने पुत्र का सही नाम थावरा की बजाय लक्ष्मण होना बताया। व उपस्थित

Scanned with CamScanner

खातेदार वर्तमान में बालिग होना पाया गया है। इसकी भी तहरीर खातेदार की माता कमली द्वारा की गई। तहसीलदार कुशलढ ने भी राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किए जाने की अनुशंषा की है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, बयान खातेदार, सहखातेदार व स्वतंत्र दो गवाहान, दस्तावेज एवं तहसीलदार कुशलगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रार्थी के जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण दर्ज है। तथा वर्ष 2069–72 जमाबन्दी खाता संख्या 12 किता 04 खसरा नम्बर 16,17,18 व 19 में अमलदारामद ना.स. 206 दि. 29.06.2016 तथा ना.स. 206 दिनांक 30.06.2016 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम थावरा की बजाय लक्ष्मण जरिये शुद्धि दर्ज है। तहसीलदार कुशलगढ़ की रिपोर्ट में प्रार्थी थावरा पिता सरदार गलत दर्ज होना बताया होकर खाता संख्या 21 में थावरा की बजाय लक्ष्मण शुद्धि करने की अनुशंषा की है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम माल पटवार क्षेत्र भगतपुरा की वर्तमान जमाबन्दी के खाता नम्बर 21 खसरा नम्बर 20 रकबा 0.5504 है. व खसरा नम्बर 34 रकवा 0.4452 है. कुल किता 02 रकबा 0.9956 है. में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाकर उक्त खाते में नाबालिग थावरा पुत्र सरदार संरक्षक सरपरस्त माता कमली हिस्सा–1/2 जाति भील के स्थान पर **"लक्ष्मण पुत्र सरदार हिस्सा–1/2 जाति भील सा. देह खातेदार"** शुद्धि किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष बदस्तुर रहे। तहसीलदार कुशलगढ उक्तानुसार खाता शुद्धि कर अमलदरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ

Scanned with CamScanner